संख्या 356/11/सत्तर-1-2019-16(13)/2019

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2019

विषय- एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रस्तावित 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, एन0सी0टी0ई0, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली के पत्र संख्या-एन0सी0टी0ई0-आर0ई0जी0 1011/326/2017 यू0एस0 (रेगुलेशन) एन0क्यू0 दिनांक 14-6-2019 (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रस्तावित 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में संचालित किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-360/सत्तर-1-2019-16(13)/2019 दिनांक 01 जून, 2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा राज्य सरकार की अनापत्ति निर्गत कर दी गयी है।

2- एन0सी0टी0ई0 के पत्र दिनांक 14-6-2019 में शासन के पत्र दिनांक 01-6-2019 के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिये आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गयी है। पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31-7-2019 है। उत्तर प्रदेश की अर्ह एवं इच्छुक संस्थाएं ऑनलाइन आवेदन-पत्र एन0सी0टी0ई0 की दी गयी वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकती हैं।

एन0सी0टी0ई0 की उक्त अपेक्षा के सदर्भ में कृपया प्रस्तावित 04 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में संचालित करने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हुये सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)
विशेष सचिव